प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला. भ्र0नि0ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर, वर्ष 2023
   प्र0इ0रि0 सं0.....296/2023 दिनांक.....20/11/2023
2. (अ) अधिनियम .....धाराये 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)
   (ब) अधिनियम.....धाराये.....
   (स) अधिनियम.....धारायें.....
   (द) अन्य अधिनियम धारायें.....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....338.....समय.....2:00 PM
   (ब) अपराध घटने का 'दिन वर्ष– 26.07.2023 वार बुधवार
   (स)थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 25.07.2023/26.07.2023
4. सूचना की किस्मः– मौखिक/लिखित
5. घटना स्थलः– सबलपुरा, सीकर स्थित आरोपी मौहम्मद अयूब का निवास
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–कार्यालय एसीबी,अलवर प्रथम चौकी से लगभग 188 कि0मी0 पश्चिम दिशा मे
   (ब) .....
   बीट संख्या.....जरायमदेही संख्या.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना.....जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री श्रीकिशन कुमावत
   (ब) पिता/पति का नाम :– श्री पेमाराम कुमावत
   (स) जन्म तिथि उम्र लगभग 40 साल
   (द) राष्ट्रीयता.....भारतीय.....
   (य) पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथि.....
   जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय... निजी कार्य
   (ल) पताः– चिडिग़ा टिब्बा, वार्ड नं0 19, पुराना वार्ड नं0 9, पुरोहित जी की ढाणी, सीकर, पुलिस थाना उधोग नगर, सीकर, मूल निवासी टोडी माधोपुरा, पुलिस थाना रानौली, तहसील व जिला सीकर।
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का पूर्ण विवरण
   श्री मौहम्मद अयूब पुत्र श्री मौहम्मद युसफ खां, निवासी ग्राम–पोस्ट सबलपुरा, तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर, हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी(रीडर), कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर, जिला सीकर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने मे विलम्ब का कारण–कोई नहीं
9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियाँ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये):– 20,000 रू0 रिश्वत की मांग करना
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य–
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो).....नहीं.....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

महोदय,

वाक्यात इस प्रकार है कि दिनांक 25.07.2023 को समय 07.00 पी0एम0 पर श्री पीयूष दीक्षित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर ने मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द को जरिये मोबाईल अवगत करवाया कि "आज दिनांक 25.07.2023 को ब्यूरों मुख्यालय से, परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत के मोबाईल नं0 9829618961 पर सम्पर्क कर वार्ता कर परिवादी की शिकायत सुनने के निर्देश प्राप्त हुये, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत से मोबाईल वार्ता पर कर परिवादी की शिकायत सुनी तो परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत पुत्र श्री पेमाराम कुमावत, निवासी चिडिया टिब्बा, वार्ड नम्बर

49, पुरोहित जी की ढाणी, सीकर, जिला सीकर ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि उसने एक 400 वर्गगज का प्लाट उदयदास की ढाणी सीकर में दिनांक 17.11.2022 को श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी श्री गेन्दाराम सैनी से खरीदा था। उसके बाद मेरे उक्त प्लाट पर दुर्गा देवी के पुत्र श्री सुशील ने एस0डी0एम0 कोर्ट से स्टे ले लिया। मैंने मेरे प्लाट पर लिये गये स्टे को तुडवाने के लिये एस0डी0एम0 कोर्ट सीकर में दावा किया था। एस0डी0एम0 कोर्ट सीकर में कार्यरत मौहम्मद अयूब रीडर मेरे से मेरे प्लाट पर लगे स्टे को एस0डी0एम0 से तुडवाकर नकल दिलवाने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करे। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत को उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही करवाने हेतु ब्यूरों कार्यालय अलवर में उपस्थित होकर लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि वह अलवर नही आ सकता है तथा कार्यवाही करने के लिये ए0सी0बी0 का कोई अधिकारी सीकर आ जायेगा तो मैं उन्हे उक्त बाबत सीकर में ही लिखित प्रार्थना पत्र देकर आगे की कानूनी कार्यवाही करवा दूंगा। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत को दिनांक 26.07.2023 को समय करीब 08.00 ए0एम0 पर सीकर में उपस्थित मिलने तथा उसके पास दिनांक 26.07.2023 को सीकर में ए0सी0बी0 का अधिकारी पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अवगत करवाया गया। अतः आप व श्री महेश कुमार कानि0 462 सीकर पहुंचकर परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत से सम्पर्क कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करें।"

इस पर दिनांक 26.07.2023 को समय 04.00 ए0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द मय श्री महेश कुमार कानि0 462 मय विभागीय लैपटॉप, प्रिन्टर, यू0पी0एस0, स्टेशनरी एवं विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर हमराह लेकर मय प्राईवेट वाहन के श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार ब्यूरों कार्यालय अलवर से बजानिब सीकर, जिला सीकर के लिये रवाना होकर समय 08.00 ए0एम0 पर झुन्झुनू बाईपास सीकर स्थित पीपराली चौराहा सीकर, पहुंचकर परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत से मोबाईल फोन पर सम्पर्क किया तो परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत मन पुलिस निरीक्षक को सीकर स्थित पीपराली चौराहा के पास उपस्थित मिला।

तत्पश्चात समय 08.05 ए0एम0 पर झुन्झुनू बाईपास सीकर स्थित पीपराली चौराहा सीकर पर मन् पुलिस निरीक्षक के सम्मुख परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत पुत्र श्री पेमाराम कुमावत, जाति कुम्हार, उम्र 40 साल, निवासी चिडिया टिब्बा, वार्ड नं0 49, पुराना वार्ड नं0 19, पुरोहित जी की ढाणी, सीकर, पुलिस थाना उधोगनगर, सीकर, तहसील व जिला सीकर मूल निवासी टोडी माधोपुरा, तहसील सीकर, पुलिस थाना रानोली, जिला सीकर ने एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि " सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर विषय एसडीएम सीकर के रीडर अयूब को रिश्वत लेते हुए पकडवाने हेतु। महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं प्रार्थी श्रीकिशन कुमावत पुत्र श्री पेमाराम कुमावत निवासी चिडिया टिबा वार्ड नं0 49 पुराना वार्ड नं0 19 पुरोहित जी की ढाणी सीकर का निवासी हूँ। मैंने एक 400 वर्गगज का प्लाट उदयदास की ढाणी सीकर में 17.11.2022 को दुर्गा देवी पत्नि श्री गेन्दा राम सैनी से खरीदा था। बाद में दुर्गा देवी के पुत्र श्री सुशील ने उक्त प्लाट पर एसडीएम कोर्ट सीकर से स्टे ले लिया था। उसके बाद मैंने उक्त स्टे को खारिज करवाने के लिए एसडीएम कोर्ट सीकर में 7/11 का दावा किया था। एसडीएम कोर्ट सीकर में तैनात अयूब खान (रीडर) मेरे प्लाट पर लगे स्टे को हटवाकर उसकी नकल दिलवाने के नाम पर मेरे से 20,000 रू0 रिश्वत मांग कर रहा है। मैं उक्त रीडर को रिश्वत नही देकर उसे रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हूँ। आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।"

तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत ने मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मैंने एक 400 वर्गगज का प्लाट उदयदास की ढाणी सीकर में दिनांक 17.11.2022 को दुर्गा देवी पत्नी गेन्दा राम सैनी से खरीदा था। बाद में दुर्गा देवी के पुत्र सुशील ने उक्त प्लाट पर एस0डी0एम0 कोर्ट सीकर से स्टे ले लिया था। उसके बाद मैंने उक्त स्टे को खारिज करवाने के लिये एस0डी0एम0 कोर्ट सीकर में 7/11 का दावा किया था। एस0डी0एम0 कोर्ट सीकर में तैनात मौहम्मद अयूब(रीडर) मेरे प्लाट पर लगे स्टे को हटवाकर उसकी नकल दिलवाने के नाम पर मेरे से 20,000 रू0 रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं उक्त रीडर को रिश्वत नही देकर उसे रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हूँ। आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरी श्री मौहम्मद अयूब, रीडर, एस0डी0एम0 कोर्ट सीकर से कोई रजिंश या दुश्मनी नही है तथा कोई उधार लेन–देन भी बकाया नही है। परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं के द्वारा लिखा जाना तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा दौराने पूछताछ परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत द्वारा अपनी पहचान स्वरूप पेश किये गये अपने ड्राईविंग लाइसैंस की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित छायाप्रति को बाद अवलोकन संलग्न कार्यवाही किया गया। दौराने पूछताछ परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन–देन का

पाया जाने पर समय 08.55 ए0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक ने अपने पास से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत को चलाने व बन्द करने की विधि समझाकर परिवादी के समक्ष श्री महेश कुमार कानि0 462 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत को हिदायत दी गई कि वह श्री मौहम्मद अयूब, रीडर, एस0डी0एम0 कोर्ट सीकर से अपने प्लाट पर लगे स्थगन आदेश को एस0डी0एम0 से हटवाकर नकल देने के सम्बन्ध में उक्त द्वारा रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता करे तथा संदिग्ध आरोपी से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर मन पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्रस्तुत करें। परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत के साथ ब्यूरों के श्री महेश कुमार कानि0 को जाने के निर्देश कर श्री महेश कुमार कानि0 462 को हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परविादी को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द करे तथा परिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे। इस पर परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत ने अवगत करवाया कि रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता करने के लिये मैं अपने दोस्त श्री रामसिंह को अपने साथ लेकर एस0डी0एम0 सीकर के रीडर श्री मौहम्मद अयूब के पास जाउंगा क्योंकि मौहम्मद अयूब रीडर से पहले मिला तब हम दोनों साथ ही थे। इसलिए आप मुझे उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर यही से चालू करके दे दो इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने रिश्वत मांग सत्यापन हेतु ब्यूरों का उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री महेश कुमार कानि0 462 से चालू करवाकर समय 09.05 ए0एम0 पर परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत को सुपुर्द करवाकर परिवादी व श्री महेश कुमार कानि0 को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी श्री मौहम्मद अयूब रीडर के पास जाने हेतु परिवादी की गाडी से रवाना किया गया।

इसके बाद समय 10.50 ए0एम0 पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत के हमराह गया हुआ श्री महेश कुमार कानि0 462 मय परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत के झुन्झुनू बाईपास सीकर स्थित पीपराली चौराहा के पास मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आये तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 ने रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत ने बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं व आपका कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि0 आपके पास से पीपराली चौराहा से रवाना होकर रास्ते में, मैं अपने दोस्त श्री रामसिंह को साथ लेकर संदिग्ध आरोपी श्री मौहम्मद अयूब रीडर, उपखण्ड अधिकारी सीकर के कार्यालय में गये, जहां पर श्री मौहम्मद अयूब रीडर अपने कार्यालय में मौजूद नही मिला, तत्पश्चात वहां से रवाना होकर श्री मौहम्मद अयूब रीडर के सीकर शहर स्थित मकान के पास पहुंचे, जहां पर मैं व मेरा दोस्त श्री मौहम्मद अयूब रीडर, एस0डी0एम0 सीकर के मकान पर गया, जहॉ पर श्री मौहम्मद अयूब रीडर, एसडीएम सीकर अपने मकान पर मौजूद मिला, जिसने मैंने व मेरे दोस्त रामसिंह ने मेरे प्लाट पर लगे स्टे आदेश को हटवाने एवं उसकी नकल दिलवाने के सम्बन्ध में वार्ता की तो श्री मौहम्मद अयूब रीडर, एसडी0एम0 सीकर ने मेरे प्लाट पर लगी स्टे को हटवाने व उसकी नकल दिलवाने की एवज में 20 हजार रू0 रिश्वत की मांग कर रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिये सहमत हो गया। मेरे, मेरे दोस्त रामसिंह व श्री मौहम्मद अयूब, रीडर, एस0डी0एम0 सीकर के मध्य रिश्वत मांग के क्रम में जो वार्ता हुई, उन सभी बातों को मैंने ए0सी0बी के उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। इसके बाद मैं, मेरा दोस्त श्री रामसिंह, संदिग्ध आरोपी श्री मौहम्मद अयूब रीडर के पास से आपके कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि0 के पास आये तथा मेरे दोस्त श्री रामसिंह को जरूरी कार्य होने से वह वही पर रूक गया और मैंने अपने पास से ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर निकाल कर श्री महेश कुमार कानि0 को दे दिया था, जिसको महेश कुमार कानि0 ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था और हम वहा से रवाना होकर आपके पास पीपराली चौराहा सीकर पर आ गये। श्री महेश कुमार कानि0 ने भी परिवादी द्वारा बताये गये उक्त कथनों की ताईद की। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 द्वारा सुपुर्द टेपरिकार्डर को चलाकर सुना तो उक्त वार्ता में संदिग्ध आरोपी श्री मौहम्मद अयूब रीडर, एस0डी0एम0 सीकर द्वारा 20 हजार रू0 रिश्वत की मांग करना स्पष्ट पाया गया तथा परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की ताईद हुई। इसके बाद समय 11.45 ए0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु हमराह ब्यूरों कार्यालय अलवर चलने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत ने बताया कि साहब आज मेरे लेन्टर की भराई का काम चल रहा है इसलिए मैं अलवर नही चल सकता तथा मैं अविलम्ब रिश्वत राशि 20 हजार रू0 की व्यवस्था कर अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरों कार्यालय अलवर में उपस्थित हो जाउंगा या मैं रिश्वत राशि की व्यवस्था होते ही आपको फोन कर अवगत करवा दूंगा। आप ट्रेप पार्टी के साथ सीकर आ जाना। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत को गोपनीयता बनाये रखने एवं शीघ्र ही संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20 हजार रू0 अपने साथ लेकर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर मौका पीपराली चौराहा सीकर से उसके घर के लिये रवाना किया गया तथा साथ ही मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान श्री महेश कुमार

कानि0 के मय साजोसामान एवं रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर सहित मय प्राईवेट वाहन के सीकर से ब्यूरों कार्यालय अलवर के लिये रवाना होकर समय 08.30 पी0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित आया। लैपटॉप प्रिन्टर, यू0पी0एस को कार्यालय में रखवाया गया तथा रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखा गया।

इसके बाद दिनांक 15.09.2023 को समय 04.00 पी0एम0 पर परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत ने जरिये वॉटसअप कॉल मन पुलिस निरीक्षक से सम्पर्क कर अवगत करवाया कि उसके द्वारा श्री मौहम्मद अयूब रीडर, एस0डी0एम0 सीकर के विरूद्ध करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही का आरोपी को शक हो गया है तथा उसके पास रिश्वत राशि की व्यवस्था भी नही हो रही है। रिश्वत राशि की व्यवस्था नही होने के कारण वह अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर में उपस्थित नही हो सका। अब संदिग्ध आरोपी मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिये सम्पर्क भी नही कर रहा है और अब मेरा काम भी हो गया है। इसलिए आप दिनांक 16.09.2023 को सीकर आ जाओं और मेरे द्वारा अब तक करवाई गई कार्यवाही पर ही आरोपी श्री मौहम्मद अयूब रीडर, एस0डी0एम0 सीकर के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही करें।

इसके बाद दिनांक 16.09.2023 को समय 05.00 ए0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द मय श्री हरीश चन्द कानि0 503 मय विभागीय लैपटॉप, प्रिन्टर, यू0पी0एस0, स्टेशनरी एवं दिनांक 26.07.2023 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की वार्ताओं के रिकार्डशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी के लॉक से निकालकर सुरक्षित अपने हमराह लेकर मय प्राईवेट वाहन के ब्यूरों कार्यालय अलवर से बजानिब सीकर के लिये रवाना होकर समय 11.00 ए0एम0 पर झुन्झुनू बाईपास पर सीक़र स्थित पीपराली चौराहा सीकर, पहुंचकर परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत से सम्पर्क किया तो परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत मन पुलिस निरीक्षक को सीकर स्थित पीपराली चौराहा के पास उपस्थित मिला तथा परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत ने मन पुलिस निरीक्षक को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए0सी0बी0 अलवर को सम्बोधित एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि मैंने दिनांक 26.07.2023 को सीकर में आपको एस0डी0एम0 सीकर के रीडर श्री अयूब खान को मेरे से रिश्वत लेते हुए पकडवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा आप द्वारा मेरे से श्री अयूब खान रीडर, एस0डी0एम0 सीकर, जिला सीकर का रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाया गया था। मेरे द्वारा श्री अयूब खान, रीडर के खिलाफ ए0सी0बी0 में करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही हेतु संदिग्ध आरोपी श्री अयूब खान रीडर, एस0डी0एम0 सीकर को उसकी मांग के अनुरूप रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000 रू0 की मेरे से व्यवस्था नही हो पा रही थी, इसलिए मैं अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय में उपस्थित नही हुआ और मेरे से एस0डी0एम0 सीकर का रीडर श्री अयूब खान मेरे जिस काम की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था, अब मेरा वह काम हो गया है। रिश्वत मांग सत्यापन की बातचीत किये हुये भी करीब डेढ माह का समय हो गया है। इसलिए वह मेरे से अब रिश्वत लेने के लिये कोई बात नही कर रहा है और उसको मेरे द्वारा करवाई जा रही ए0सी0बी0 की कार्यवाही का शक हो गया है। इसलिए अब मैं आगे कोई कार्यवाही नही करवाना चाहता हूँ। मेरे द्वारा अबतक करवाई गई कार्यवाही पर ही आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। परिवादी ने यह भी बताया कि उसके पास रिश्वत राशि की व्यवस्था नही होने के कारण वह ब्यूरों कार्यालय अलवर में नही आ सका तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को बाद अवलोकन संलग्न पत्रावली किया गया।

तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु मन पुलिस निरीक्षक पीपराली चौराहा सीकर से मय परिवादी मय हमराही कानि0 के रवाना होकर ए0सी0बी0 चौकी सीकर पहुंच कर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सीकर डिपो से जरिये तहरीर स्वतन्त्र गवाह तलब किये गये, जिस पर समय 12.30 पी0एम0 पर रा0रा0प0प0नि0 सीकर से तलबशुदा गवाह श्री उदाराम, चालक एवं श्री छिगन लाल, परिचालक, रा0रा0प0प0नि0 सीकर, ब्यूरों कार्यालय सीकर में उपस्थित आये। आमदा उक्त दोनों गवाहान का परिचय ब्यूरों कार्यालय सीकर में मौजूद परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत द्वारा दिनांक 26.07.2023 को मन पुलिस निरीक्षक को पीपराली चौराहा सीकर पर प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं दिनांक 16.09.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्रों पर दोनों गवाहान ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

इसके बाद समय 12.50 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक ने गवाह श्री उदाराम, चालक व श्री छिगन लाल, परिचालक एवं परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत की उपस्थिति में परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत व संदिग्ध आरोपी श्री मौहम्मद अयूब, रीडर, उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर के मध्य दिनांक 26.07.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई रूबरू वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में दोनों स्वतन्त्र गवाहान की

मौजूदगी में परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत ने अपनी स्वयं की आवाज की, अपने दोस्त श्री रामसिंह की एवं आरोपी श्री मौहम्मद अयूब रीडर, उपखण्ड अधिकारी, सीकर, जिला सीकर की आवाज की पहचान की गई तथा परिवादी के बतायेनुसार मूल रिकार्ड वार्ताओं का हिन्दी रूपान्तरण किया गया। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से श्री हरीश चन्द शर्मा कानि0 503 से बारी–बारी से तीन सीडी तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमशः तीनों सीडीयों पर मार्क **"ए–1"**, मार्क **"ए–2"** एवं मार्क **"ए–3"** अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क **"ए–1"** व मार्क **"ए–2"** को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क **"ए–1"** व मार्क **"ए–2"** अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क **"ए–3"** को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड **Sandisk 32 GB** मे दिनांक 26.07.2023 को परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता रिकॉर्ड की हुई है। उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड **Sandisk 32 GB** को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे, एस.डी. मैमोरी कार्ड **Sandisk 32 GB** के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क **S(एस)** अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया।

इसके बाद समय 06.30 पी0एम0 पर परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान को आवश्यक हिदायद देकर ब्यूरों कार्यालय सीकर से रवाना किया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही एल0सी0 मय सील्डशुदा आर्टिकल्स व साजोसामन के ब्यूरों कार्यालय सीकर से मय प्राईवेट वाहन से रवाना होकर समय 11.30 पी0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय अलवर पहुंचकर विभागीय लैपटॉप, प्रिन्टर, यू0पी0एस0, विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय में रखा गया तथा सील्डशुदा आर्टिकल्स सीडी मार्क **ए–1, ए–2** एवं एस0डी0 मैंमोरी कार्ड मार्क **S(एस)** को चौकी मालखाना प्रभारी श्री हरीश चन्द कानि0 503 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया।

उपरोक्तानुसार सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री मौहम्मद मौहम्मद अयूब, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी(रीडर), कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर, जिला सीकर द्वारा परिवादी श्री श्रीकिशन कुमावत से दिनांक 26.07.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा श्रीमती दुर्गा देवी से क्रयशुदा प्लाट पर श्रीमती दुर्गा देवी के पुत्र श्री सुशील कुमार द्वारा एस0डी0एम0 कोर्ट सीकर से लिये गये स्थगन(स्टे) आदेश को खारिज करवाकर आदेश की नकल दिलवाने की एवज में 20,000 रू0 रिश्वत की मांग करना एवं उक्त रिश्वत राशि परिवादी से प्राप्त करने के लिए सहमत होकर रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होने का श्री मौहम्मद अयूब, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी(रीडर), कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर, जिला सीकर का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है।

अतः आरोपी श्री मौहम्मद अयूब पुत्र श्री मौहम्मद युसफ खां, निवासी ग्राम–पोस्ट सबलपुरा, तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर, हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी(रीडर), कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर, जिला सीकर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है।

(प्रेम चन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्र0नि0ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम अलवर, ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से अभियुक्त श्री मौहम्मद अयूब पुत्र श्री मौहम्मद युसूफ खां, निवासी ग्राम-पोस्ट सबलपुरा, तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (रीडर), कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर जिला सीकर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट 296/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ नियमानुसार कता की गई।

20/11/23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 3060-63 दिनांक 20.11.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-2 जयपुर।
2. जिला कलक्टर, सीकर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, द्वितीय, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर।

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।